छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512141, Email Id:-aocsbajwa@yahoo.in,
Website:-www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक..150.....
दिनांक 11/12/2017

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण द्वारा निर्मित आवासीय भूखण्डों/भवनों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में संपरिवर्तन हेतु शासन द्वारा दिनांक 30.12.2011,13.03.2012 एवं 20.06.2012 को विस्तृत निर्देश जारी किए गए है। उक्त निर्देश मण्डल में लागू करते हुए संबंधित कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भवन/भूखण्ड को फ्री होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन करने के लिए मण्डल के परिपत्र कमांक 12 दिनांक 01.05.2012 द्वारा नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र कमांक एफ 3-05/2015/32 नया रायपुर दिनांक 14.11.2017 के माध्यम से नया रायपुर सेक्टर-27 एवं 29 में लीज पर दी गई भूमि को हितग्राही के पक्ष में फ्री होल्ड करने हेतु मण्डल और नया रायपुर डेव्लपमेंट अथॉरिटी के बीच प्रकिया को सरलीकरण करते हुए निर्देश जारी किए गए है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 55वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.11.2017 के एजेण्डा कमांक 12 के पारित संकल्प कमांक 1607/12/55/11/2017 में संचालक मण्डल द्वारा दीर्घ-विचारोपरांत सर्व सम्मति से नया रायपुर सेक्टर 27 एवं 29 में लीज पर दी गई भूमि को हितग्राही के पक्ष में फ्री-होल्ड करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक एफ 3-05/2015/32 नया रायपुर दिनांक 14.11.2017 द्वारा जारी निर्देश/प्रकिया को नया रायपुर क्षेत्र के निर्मित/निर्माणाधीन संपूर्ण आवासीय परियोजनाओं में लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

(आदेशानुसार)
11.12.17
मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

कमशः--02